संख्या:15/2018/516जेएल/22-3-18-100(122)/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
अभियोजन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 28 मार्च, 2018***

विषय- उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बंदी एवं मा0 विधायक को विधान मण्डल के सत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बंदी, जो मा0 विधायक भी हैं, को जिन मा0 विचारण न्यायालयों के आदेश से कारागार में निरूद्ध किया गया है, उन्हीं मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा विधान मण्डल के सत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। ऐसे विचाराधीन बंदी, जो मा0 विधायक भी हैं, को सत्र के दौरान मा0 सदन में सम्मिलित होने के विधिक अधिकार के सम्बन्ध में के0 आनन्दन नाम्बियार बनाम चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ मद्रास में मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ (पॉच जज) द्वारा निर्णय पारित है, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :-

> " Member of Parliament when he attends the session of the Parliament. If the order of detention validly prevents him from attending a session of Parliament, no occasion arises for the exercise of the right of freedom of speech and no complaint can be made that the said right has been invalidly invaded. Member of Parliament can claim no special Status higher than that of an ordinary citizen in so far as a valid order of detention is concerned and is as much liable to be arrested and detained under it as any other citizen."

इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ ने शेखर तिवारी के प्रकरण में स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है कि :-

> " When an ordinary person who is detained in prison is denied his right to vote, then the M.L.A. who is detained in prison on criminal charges cannot claim any superior right to participate in the sessions of assembly and to cast his vote. The plea that in case of M.L.A. is not permitted to participate in the proceedings of the assembly then his constituency shall unrepresented is not tenable."

2- मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरिवर्णित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बंदी, जो मा0 विधायक भी हैं, को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विधान मण्डल सत्र में सम्मिलित होने का विधिक अधिकार नहीं है। अतएव विचाराधीन बंदी, जो मा0 विधायक भी हैं, को विधान मण्डल सत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रकरणों में मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरिवर्णित निर्णयों के आलोक में मा0 विचारण न्यायालयों के समक्ष विधिक प्रतिरोध किये जाने हेतु समस्त जनपद के अभियोजन अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या:15/2018/516जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
3- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- गृह (पुलिस) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।